(343)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, संभाग ग्वालियर म0प्र0

R 117

R-11-II-17

जयजनता सिंह पत्नी राज बहादुर सिह निवासी पतौड़ा तह0 रघुराजनगर जिला सतना'

म0प्र0————————————————————————निगराकार / अनावेदिका

बनाम

रामकली सिंह पत्नी नारेन्द्र प्रताप सिह निवासी पतौड़ा तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0———————————————————गैर निगराकार / अनावेदिका

श्री .... द्वारा आज दि. 2-1-17 को प्रस्तुत

2-1-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरिक्षक वृत्त रामस्थान तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 के रा0प्र0क्र0 16ए012 / 2015–16 आदेश दिनांक 24.08.2016 निगरानी अंर्तगत धारा 50 म0प्र0 का0 मा0

3
2-1-17

मान्यवर,

निगराकार /अनावेदिका श्रीमान जी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनयी है:–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आराजी क्र0 525 रकबा 1.08 एकड़ बाका मौजा पतौड़ा तह0 रघुरजनगर जिला सतना म0प्र0 की आराजी को राजेन्द्र सिंह एवं गुलाब सिंह द्वारा क्रय कि गई थी उक्त भूमि का 1/2 भाग उत्तर दिशा मे राजेन्द्र सिंह की थी तथा दक्षिण दिशा स्थित भूमि गुलाब सिंह की थी ।

गुलाब सिंह एवं समशेर सिंह आपस में सगे भाई है उक्त भूमि बटवारे से पूर्व संयुक्त रूप से गुलाब सिंह के नाम से क्रय की गई थी। आपसी बटबारे के तहत गुलाब सिह को 0.27 एकड़ भूमि पश्चिम दिशा में प्राप्त हुई तथा पूर्व दिशा में 0.27 एकड़ भूमि समशेर सिंह को प्राप्त हुई ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–सतना

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–11–दो / 2017

जयजनता सिंह विरूद्ध रामकली सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त रामस्थान, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 16 / अ–12 / 2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 11.3.19 सदस्य	